भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *43

06.02.2023 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक प्रदूषण

***43. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे :**
श्री राहुल रमेश शेवाले :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा है और वैज्ञानिक रिपोर्टें यह साबित कर चुकी हैं कि प्लास्टिक पूरी खाद्य श्रृंखला में व्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या वर्तमान में, प्लास्टिक के निर्माण में 10,000 से अधिक रसायनों (एडिटिव्स) का उपयोग किया जाता है तथा यह साबित हो रहा है कि लगभग एक चौथाई रसायनों का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली स्थित विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) ने नवंबर, 2022 में 'द प्लास्टिक लाइफ साइकल' नामक एक रिपोर्ट जारी की है;

(घ) यदि हां, तो सीएसई द्वारा जारी रिपोर्ट से उजागर हुए तथ्यों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'प्लास्टिक प्रदूषण' के संबंध में डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे और श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा दिनांक 06.02.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *43 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 'लखनऊ डम्पसाइटों में मृदा और जल की गुणवत्ता पर प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान का प्रभाव' शीर्षक से एक अध्ययन कराया था। उस अध्ययन में यह देखा गया था कि प्लास्टिक अपशिष्ट को डम्प करने से विभिन्न श्रेणियों के प्लास्टिक उत्पादों में मौजूद रसायनों (एडिटिव्स), रंगों, स्थिरकारकों और फिलरों के घुलकर बह जाने के कारण मिट्टी और भू-जल की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। अप्रबंधित एवं फेंके गए प्लास्टिक अपशिष्ट से उत्पन्न योजक रसायनों और माइक्रोप्लास्टिकों के कारण पर्यावरण का प्रदूषण हो सकता है। योजक रसायनों और माइक्रोप्लास्टिकों से संबंधित मानव स्वास्थ्य जोखिम संबंधी वैज्ञानिक रिपोर्टों के निष्कर्ष अलग-अलग हैं। कुछ अध्ययनों में विभिन्न पर्यावरण नमूनों, जीवों और/या मानव ऊतक में माइक्रोप्लास्टिकों का अनुमान लगाया गया है। मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों को समझने तथा निर्णायक निष्कर्षों पर पहुंचने हेतु संगत एक्सपोजर स्तरों पर दीर्घकालिक अध्ययन अपेक्षित हैं।

(ग) और (घ): एक गैर-सरकारी संगठन - विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा ''प्लास्टिक जीवन चक्र'' के संबंध में रिपोर्ट तैयार करके नवंबर, 2022 में उनके द्वारा प्रकाशित की गई और वह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में पुनर्चक्रण सहित उत्पादन से लेकर खपत, अपशिष्ट सृजन और प्रबंधन तक प्लास्टिकों के विभिन्न चरणों को शामिल किया गया है।

(ड.): ऐसी अभिज्ञात एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम है और कचरे फैलाने की क्षमता अधिक है, को 12 अगस्त, 2021 को अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2022 से पहले ही निषिद्ध कर दिया गया है। इस अधिसूचना में 75 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैगों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग को दिनांक 30 सितंबर, 2021 से और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैगों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग को भी दिनांक 31 दिसंबर, 2022 से प्रतिबंधित किया गया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में ईपीआर, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, कठोर प्लास्टिक के पैकेजिंग के पुन:उपयोग और पुनर्चक्रित प्लास्टिक वस्तु के उपयोग के संबंध में अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दिशानिर्देशों में संधारणीय प्लास्टिक पैकेजिंग की दिशा में आगे बढ़ने और प्लास्टिक फुटप्रिंट में कमी लाने का प्रावधान किया गया है। अभिज्ञात की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को लागू करने से इधर-उधर फैंके गए और अप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने तथा अभिज्ञात की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध को लागू करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) अभिज्ञात की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग की समाप्ति और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावकारी प्रबंधन हेतु सभी छत्तीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मुख्य सचिव/प्रशासक की अध्यक्षता में विशेष कार्यबल गठित किया गया है। अभिज्ञात की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग की समाप्ति और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु समन्वित प्रयास करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्र स्तरीय कार्यबल भी गठित किया गया है। राष्ट्रीय कार्यबल की चार बैठकें आयोजित हो चुकी हैं।

(ii) चौबीस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने तथा उस पर प्रतिबंध को समयबद्ध तरीके से लागू करने हेतु पहले ही एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है।

(iii) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों को लागू करने हेतु संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को निदेश जारी किए गए हैं। अभिज्ञात की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंध में ई-वाणिज्य कंपनियों, प्रमुख एकल उपयोग प्लास्टिक विक्रेताओं/प्रयोक्ताओं तथा प्लास्टिक कच्चेमाल के विनिर्माताओं को भी निदेश जारी किए गए हैं। सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अलग से निदेश दिया गया है कि वे प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के आयात पर रोक लगाएं।

(iv) देश में अभिज्ञात की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध की प्रभावकारी निगरानी तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचालित हैं- (क) व्यापक कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु राष्ट्रीय डैशबोर्ड, (ख) एकल उपयोग प्लास्टिक की समाप्ति संबंधी निदेशों के अनुपालन हेतु सीपीसीबी निगरानी मॉड्यूल और (ग) सीपीसीबी शिकायत निवारण ऐप।

(v) अभिज्ञात की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं तथा एक सौ बीस माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैगों पर प्रतिबंध को लागू करने हेतु सीपीसीबी, एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन अभियान संचालित किए गए हैं।

(vi) एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के स्थान पर पारिस्थितिकी के अनुकूल विकल्पों का उपयोग शुरू करने वाले एमएसएमई उद्यमों को सहायता प्रदान करने हेत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपनी वर्तमान योजनाओं में प्रावधान किए हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु दिनांक 26-27 सितंबर, 2022 को चेन्नै में तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पारि-विकल्पों पर एक राष्ट्रीय एक्सपो और स्टार्टअप सम्मेलन-2022 का आयोजन संयुक्त रूप से किया गया। एकल उपयोग प्लास्टिकों के प्रयोग की समाप्ति हेतु जागरूकता सृजन और क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

******